

27/10/21

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021  
कैम्प ग्राम पंचायत रथामगढ़

फद अहकाम (नियम 26)  
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर  
मेहरवरी डेवी बनाम सरकार  
किसा गुकदमा 136 एल आर एक्ट नम्बर 117 सन् 2021  
जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुक्म	हुराम या कारवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी किए
27.10.21	<p>तहसीलदार भू.अ./ नायब तहसीलदार <u>सिमरज देवी</u>            रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/281            दिनांक 27.10.21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग            अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>रथामगढ़</u>            में प्रार्थी के नाम चक <u>61 NP</u> की जमाबंदी सम्वत  <u>2075-2078</u> के खाता सं. <u>41</u> में  <u>मेहरवरी डेवी पत्नी लाधूराम 1/3 हिस्सा</u>            के स्थान पर <u>मेहरवरी डेवी पत्नी लाधूराम</u>  <u>1/3 हिस्सा</u>            की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं।            प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प            कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार            दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति            जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब            तहसीलदार <u>सिमरज देवी</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा            के आधार पर चक <u>61 NP</u> तहसील            रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत <u>2075-2078</u>            के खाता सं. <u>41</u> में <u>मेहरवरी डेवी</u>  <u>पत्नी लाधूराम 1/3 हिस्सा</u>            के स्थान पर  <u>मेहरवरी डेवी पत्नी लाधूराम 1/3 हिस्सा</u>            की दुरुस्ती करने            के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी            अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय            का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो।            पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।            आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर

